भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2424

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के बारे में जागरूकता

†2424. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बारे में किशोरियों के बीच व्याप्त गलत धारणाओं को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में किशोरियों के लिए सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 10 से 19 वर्ष की किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता संवर्धन योजना का कार्यान्वयन करता है। इस योजना के कार्यान्वयन से किशोरियों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ती है, सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता बढ़ती है और सैनिटरी नैपकिन का पर्यावरण के अनुकूल सुरक्षित निपटान को बढ़ावा मिलता है।

इस योजना के तहत स्कूलों और सामुदायिक मंचों के माध्यम से किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं। मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी प्रबंधन पर सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री सरकार द्वारा तैयार की गई है और राज्यों/संघ राज्1 क्षेत्रों को वितरित की गई है। इनका उपयोग आशा कार्यकर्ता और शिक्षक स्कूलों और समुदाय दोनों में किशोरियों के लिए सुरक्षित मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रथाओं पर नियमित जागरूकता सत्र आयोजित करने और ग्1ाप्§ धारणाओं को दूर करने के लिए करते हैं।

इसके अतिरिक्त, नवंबर 2024 में जारी की गई स्कूली छात्राओं के लिए राष्ट्रीय मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता नीति, राज्यों/संघ राज्1 क्षेत्रों और संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वित कार्रवाई के माध्यम से सरकारी और

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सुरक्षित और किफायती मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता उत्पादों, महिलाओं से संबंधित स्वच्छता सुविधाओं, जागरूकता सृजन और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपटान तंत्र तक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है।

सरकार, प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता उत्पादों तक किफायती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1 रुपये प्रति पैड की दर से 'जन औषधि सुविधा' सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराती है।
